रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1054] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2013/वैशाख 20, 1935
No. 1054] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2013/VAISAKHA 20, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2013

का.आ. 1199(अ).—जबकि केंद्र सरकार ने दिल्ली मुख्य योजना–2021 में कुछ संशोधन, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, करने का प्रस्ताव किया है। जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 6) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 11 क की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित सूचना की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना के रूप में का.आ. 2554 (अ) दिनांक 26.10.2012 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

2. जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच एवं सुनवाई बोर्ड तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में इस पर अनुमोदन भी प्रदान किया गया है ।

3. जबकि केंद्र सरकार ने मामले में सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना–2021 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

4. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11–क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उक्त दिल्ली मुख्य योजना–2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :